

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर  
(जी-३, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(44)का / आर.एम.एस./ डी.एल.बी./ 15/ ८००

दिनांक : २७-१-१७

### आदेश

मा० मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2017 को प्रातः 11.30 बजे सम्भागीय आयुक्त सभागार, कोटा में कोटा सम्भाग की ली जाने वाली समीक्षात्मक बैठक निर्देशानुसार स्थगित की जाती है।

१०  
(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:प.1(क)(44)का / आर.एम.एस./ डी.एल.बी./ 15/ ८०१ — ८२२

दिनांक : २७-१-१७

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, मा० मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. जिला कलक्टर, कोटा।
04. परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
05. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
06. कार्यकारी निदेशक, आर.यू.आई.एफ.डी.सी.ओ., जयपुर।
07. मुख्य अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, संयुक्त निदेशक (एन.यू.एल.एम.) अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत) निदेशालय।
08. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
09. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका, कोटा सम्भाग।।
11. सुरक्षित पत्रावली।

  
(एम० पी० मी० अतिरिक्त निदेशक)